19	सुनीगई ... पत्रावली ... आदेश हेतु 31-7-19 को पेश हो।
31.7.19	पत्रावली पेश हुई। बहस अपपक्ष सुनी गई। वकील सायलान ने अपने प्रा. पत्र के अनुरूप बहस करते हुए निवेदन किया कि ग्राम रामसिंह पुरा की भूमि ख०नं० 338, 340, 341, 342, 343 एवं ख०नं० 195, 194 रकबा 1.80 हे० मे से दक्षिण की ओर की 1.38 हे० के सायलान काबिज काश्त खातेदार है, गैर सायलान का इस भूमि से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। ख०नं० 194 की 0.42 हे०, भूमि उत्तर की ओर की छग्गू पुत्र छुट्टया की है जो फौत हो चुका है जिसके वारिस गैर सायल नं० 1 व 2 है। हाल ख०नं० 338, 340, 341, 342, 343 के साबिक ख०नं० 155 था तथा हाल ख०नं० 194, 195 का साबिक ख०नं० 98 मिन है। उक्त भूमि सायलान के बाबा बालया पुत्र चैन्या को दिनांक 25.5.1975 को आवंटित हुई बालया उर्फ बालू पटेल पर सन् 1973 से 75 के मध्य काफी कर्जा था जिसे बालया के पुत्र रामहेत, रामजीलाल व कन्हैया ने चुकाया तथा चौथ पुत्र धूड़मल या इस के पुत्रान ने कोई कर्जा नहीं चुकाया। जिसके बाबत सिविल न्यायालय मे कर्जे का मुकदमा 73/1974 ओरीलाल बनाम रामहेत चला जो दिनांक 19.12.75 को 2273/- रुपये अदायगी हेतु डिक्री हुआ और 200/- रुपये 6 माही चुकाने की किश्त बंधी रामहेत ने डिक्रीदार ओरीलाल के पुत्र श्रीरामदयाल त्रिवेदी को 200/- रुपये किश्त के दिनांक 14.5.1976 को चुकाये जिसकी उन्होंने रसीद दी। गैर सायल रामहेत से एक 3/- रुपये का स्टाम्प बालया ने मंगवाया और अपनी उक्त भूमि साबिक ख०नं० 98/2 व 155 की भूमि दिनांक 30.5.75 को अपने पुत्र रामहेत, रामजीलाल कन्हैया के पुत्र नन्दकिशोर, प्रेमसिंह पुत्र रामजीलाल, गणेश पुत्र रामहेत को दे दी एवं उक्त भूमि से गैर सायलान का कोई ताल्लुक वास्ता नही हो उक्त भूमि पर दिनांक 30.5.75 को तीनों काबिज हो गये तथा लगातार बिना किसी बाधा के आज भी काबिज काश्त है बालया ने लिखावट मे यह भी अंकित कराया कि इस भूमि मे और किसी का उजर नही होगा। लिखावट मे बालया ने सायल नं० 1 गणेश

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एक आर्डर के आधार पर उनके नाम दर्ज है। कस्तू भूमि पर काबिज है इस प्रकार सायल सं० 1 से 4 का भूमि पर 1/3 हिस्सा है सायल सं० 5 से 7 का भूमि में 1/3 हिस्सा तथा सायल सं० 8 से 10 का भूमि पर 1/3 हिस्सा है। बाल्या की मृत्यु के उपरांत विरासत का नामान्तकरण सं० 170 दिनांक 5.2.1983 छुट्टया कन्हैया, रामजीलाल व रामहेत के नाम खुला जो कानूनन शून्य व प्रभावहीन है तथा विधि विरुद्ध है भूमि में छुट्टया का कोई हिस्सा नहीं है। दिनांक 25-1-2016 को गैर सायलान ने सायलान को धमकी दी की उक्त भूमि की काश्त हम करेंगे तथा खेत मे नही घुसने देंगे इसलिए गैर सायलान को पाबन्द फरमाया जावे कि वे ~~विविदित~~ विवादित भूमि मे सायलान को कब्जे काश्त मे बाधा उत्पन्न नही करे तथा भूमि का रहन/विक्रय या अन्य किसी प्रकार से अन्तरण नही करें। तो फैसला डावा रिकार्ड की मलाहिजात बनोपर्व। वकील गैर सायलान ने अपने जवाब प्रार्थना के अनुरूप बहस करते हुए सायल के प्रार्थनापत्र को नकारते हुए यह बताया कि सायलान चालाक किस्म का व्यक्ति है तथा सायलान ने फर्जी कूट रचित लिखावट तैयार करवाई है। बाल्या को दिनांक 25.5.75 को भूमि आवंटित हुई तथा 12-6-75 को उस पर कब्जा दिया गया तथा पट्टा क्रमांक सं० 1881 दि० 17.7.75 को जारी हुआ जिसमें सायलान का यह कहना कि दिनांक 30.5.75 को बाल्या ने लिखावट लिख दी अपने आप मे ही असत्य सिद्ध होता है तथा लिखावट फर्जी है। तथाकथित लिखावट अनरजिस्टर्ड है तथा साक्ष्य मे नही पढ़ी जा सकती है। सायलान ने बाल्या की लिखावट के आधार पर उसकी मौजूदगी मे ही खातेदारी क्यो नही बदलवाई रामहेत ने 2001/- अपने खिलाफ हुई न्यायालय	

बहस पर मनन किया गया पत्रावली में व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।

पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस से एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से प्रतीत होता है कि पक्षकारान के मध्य भूमि के विभाजन एवं आधिपत्य कब्जे को लेकर विवाद है जिसका निस्तारण दावे में सम्पूर्ण साक्ष्य व सबूत के आधार पर ही तय किया जाना सम्भव है तथा दावे के निस्तारण तक विवादित भूमि के विषय में रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ता फैसला दावा पाबन्द किया जाता है कि वह भूमि ख०नं० 338 रकबा 0.38, 340 रकबा 0.15 है, 341 रकबा 0.27 है, 342 रकबा 0.32 है०, 343 रकबा 0.16 है०, तथा ख०नं० 195 रकबा 1.90 है०, पूरा एवं ख०नं० 194 रकबा 1.40 है०, में से दक्षिण की ओर की 1.38 है० भूमि स्थित ग्राम रामसिंहपुरा तहसील वजीरपुर की रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील शामिल मिसल दावा रहे।

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)